न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

अपील संख्याः 07/2013 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2013/00018**

अरूण कुमार दत्तक पुत्र स्वं. भंवरलाल पुत्र श्योनाथ सुथार निवासी बोहरा जी की गली, चौंखूटी, बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र जीसुख जाति बिश्नोई निवासी ढाबा झालरवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सज्जन कंवर पत्नि गोविन्द सिंह चारण निवासी जैसा तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत मालासर, पंचायत समिति बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री महावीर प्रसाद शर्मा —अभिभाषक अपीलांट
श्री सत्यपाल सहू —अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 31.08.2021

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 31.12.2012 एवं इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 05.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

1– वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम जगदेववाला तहसील बीकानेर के खसरा नंबर 83 में 0.28 हैक्टेयर, खं. नं. 84 में 07.15 हैक्ट., खं. नं. 85 में 0.35 हैक्ट., खं.नं 86 में 2.05 हैक्ट. एवं खं. नं. 483 में 1.43 हैक्ट. कुल 11.26 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का इंतकाल भंवरलाल पुत्र श्योनाथ सुथार के स्थान पर जीसुख पुत्र हरभज व ताराचंद पुत्र जीसुख जाति बिश्नोई के नाम दर्ज किया गया, जिसके आधार पर इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 05.01.2012 एवं इसके आधार पर चढ़ाये गये पश्चातवर्ती इंतकाल नं. 107 दिनांक 12.01.2012 सरपंच ग्राम पंचायत मालासर एवं इन्तकाल संख्या 110 को निरस्त किये जाने बाबत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। इंतकाल संख्या 106 दिनांक 05.01.2012 भंवरलाल पुत्र श्योनाथ सुथार के नाम दर्ज बैयनामा के आधार पर द्वारा विक्रय उपरांत उक्त भूमि का इंतकाल जीसुख पुत्र हरभज

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

व ताराचंद पुत्र जीसुख बिश्नोई के नाम दर्ज हुआ है। तत्पश्चात् जीसुख बिश्नोई की मृत्यु उपरांत विरासतन इन्तकाल संख्या 107 ताराचंद पुत्र जीसुख के नाम दर्ज हुआ। ताराचंद पुत्र जीसुख ने उक्त भूमि सज्जन कंवर पत्नि गोविन्द सिंह जाति चारण को जरिये बैयनाम विक्रय कर दी। उक्त बैयनामें के आधार पर इन्तकाल संख्या 110 सज्जन कंवर के नाम दर्ज हो गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 05.01.2012 व पश्चात्वर्ती दर्ज इन्तकाल 107 व 110 को निरस्त करने बाबत अपील पेश की है।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अपीलांट सं. 1 श्रीमती मुन्नादेवी पत्नि स्व. भंवरलाल का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है।

4— अतः अपील की शीर्षक से अपीलांट सं. 1 मुन्नादेवी को हटाया जाकर अपीलांट सं. 2 अरूण कुमार दत्तक पुत्र स्व. भंवरलाल को मुख्य अपीलांट दर्ज कर अपील का शीर्षक संशोधित किया जाता है।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने मातहत अदालत में इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 05.01.2012 सरपंच ग्राम पंचायत मालासर के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया था कि अपीलांट मुन्ना देवी के पति एवं अपीलांट अरूण कुमार क दत्तक पिता भंवरलाल पुत्र श्योनाथ सुथार के नाम से ग्राम जगदेववाला के खसरा नंबर 3/2 में 28 बीघा 27 बिस्वा बारानी भूमि खातेदारी दर्ज थी। उक्त कृषि भूमि का भंवरलाल सुथार ने कोई विक्रय पत्र दिनांक 09.12.1968 को जीसुख एवं ताराचंद के हक में नहीं कराया और न ही कोई प्रतिफल की राशि प्राप्त की और न ही कब्जा सुपुर्द किया। उक्त भूमि पर भंवरलाल के जीवन काल तक उसका स्वयं का एवं उसके देहान्त के बाद उसके वारिसान अपीलांट के पास चला आ रहा है। उक्त बैयनामा को उन्होने न तो कभी भंवरलाल को और न ही अपीलांट मुन्ना देवी को करना बताया और न ही उक्त भूमि इंतकाल जीसुख ने अपने जीवन काल में अपने नाम चढ़वाया और न ही ताराचंद रेस्पोडेन्ट ने भंवरलाल के जीवन काल में उक्त भूमि का इंतकाल अपने नाम चढ़वाया। जीसुख पुत्र हरभज का देहान्त दिनांक 21.11.1981 को हो चुका हैं व भंवरलाल पुत्र श्योनाथ का देहान्त सन् 2005 में हो चुका हैं। भंवरलाल के निधन उपरांत उनकी धर्मपत्नि 2011 में अत्यधिक बीमार होने के बाद अपीलांट अरूण कुमार को दिनांक 23.02.2012 गोद ले लिया। इस बात का पता लगने पर रेस्पोडेन्ट ताराचंद ने सरपंच ग्राम पंचायत मालासर से सांठ–गांठ करके जीसुख एवं अपने नाम से इन्तकाल जैर अपील संख्या 106 दर्ज करवा लिया। जो मृतक व्यक्ति जीसुख के नाम से 43 वर्ष बाद दर्ज कराया गया है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जो कतई गलत एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में RRD 1979 P.89-91 रामसिंह बनाम रामप्रकाश को अवलोकनीय बताया।

6— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स श्री सत्यपाल सहू ने बहस के दौरान कथन किया कि अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं। चूंकि नामान्तरकरण एक Fiscal Procedure हैं। अपीलांट ने विक्रय पत्र को फर्जी बताया है। किन्तु जब तक बैयनामा सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता है तब तक इंतकाल परिवर्तित नहीं हो सकता। मुन्ना देवी ने अरूण कुमार को सन् 2012 में गोद लिया है। विक्रय पत्र इससे पूर्व का है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस के समर्थन में RRT 2012(1) मीना बनाम स्टेट ऑफ राज. पेज 374, RRT 2013(1) मुकुल महिपाल बनाम स्टेट ऑफ राज. पेज 383, RRD 1990 जालंधरसिंह बनाम त्रिलोकसिंह. पेज 649, RRD 1983 सांवला बनाम राम गोपाल, पेज 811 एवं RRD 1979 P.89-91 रामसिंह बनाम रामप्रकाश पेज 89 को अवलोकनीय बताया।

7— हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत नजीरों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 05.01.2012 एवं इसके आधार पर चढ़ाये गये पश्चात्वर्ती इंतकाल संख्या 107 दिनांक 12.01.2012 एवं इन्तकाल संख्या 110 को निरस्त किये जाने बाबत अपील पेश की है। चूंकि इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 05.01.2012 पूर्व में किये गये बैयनामे के आधार पर दर्ज हुआ है। अतः जब तक बैयनामा सक्षम न्यायालय से निर्णित नहीं होता है, तब तक इंतकाल संख्या 106 व उसके पश्चात्वर्ती इंतकाल संख्या 107 एवं 110 को निरस्त किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 31.12.2012 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

8— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर